

FORM NO - III

फर्द अहकार

(नियम 26)

10/24

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रकरण संख्या10.2.2024.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर 10.2 सन् 2024

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/05/2024	<p>तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 406 रकबा 1.1326 हैक्टेयर किस्म बरड़ा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का खातोली परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय सहायक अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

टीकासीन अधिकारी परसाथम (आर ५ एफ)

राजस्थान प्रार्थना पत्र संख्या 182 सं 2024

अनुमाने

राजस्थान सरकार अरिथे टाहसीलदार किशनगढ़
समाप्त

आदेश :-

ताहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमांक 131, 132 राजस्थान सू-राजस्थान अधिनियम 1958 व नियम 58, 59, 60, 61, 62 राजस्थान सू-राजस्थान अधिनियम 1958 एवं दस्तावेजांत नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, बीसन रिपोर्ट घटवारा व सू-अधिनियम विधिक, परिशिष्ट - "ए" एवं अधिनियम ताहसीलदार किशनगढ़ का प्रमाणपत्रक प्रदानकन व कनर कि-का नका जिसके अनुसार पाम स्वातंत्री ताहसीलदार किशनगढ़ की प्रशासक नम्बर 406 एका 1, 1326 हेक्टर किस्म बरडा में से एकटा 0.4700 हेक्टर भूमि में बीकी घर शरता चातु है। परन्तु राजस्थान अधिनियम एवं राजस्थान नक्शों में उक्त शरते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित घटवारी के अन्वी बीसन रिपोर्ट पर उक्त शरता काही पुराने समय से चातु बताया है। साथ ही ताहसीलदार किशनगढ़ के उक्त एका के राजस्थान अधिनियम में तैर मुबकिल शरता अंकित करने हेतु स्पष्ट अधिसाधा की है। इस प्रकर ताहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंधान अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ताहसीलदार किशनगढ़ की निर्देशित किया जाता है कि प्राक स्वतंत्रता ताहसीलदार किशनगढ़ की खसरा नम्बर 406 एका 1, 1326 हेक्टर किस्म बरडा में जो रहे चातु एका एका 0.4700 हेक्टर भूमि का अंकन राजस्थान रिक्वाई एवं राजस्थान नक्शों में 1000 शरता के नाम से करवई।

यह आदेश आज दिनांक 05/06/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



राजस्थान अधिनियम
किशनगढ़ (अजमेर)
किशनगढ़ 1, 2, 3, 4